न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 07/2019

अनवान :–

1. राजेराम पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम्

1. भैरूसिह पुत्र धनसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. छोटूसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. तारासिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. बलवीर पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–असल अप्रार्थी

5. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. दाखा पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. धन्नाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. निराणी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. भागीरथ पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सतीष कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. हरिसिह पुत्र नन्दराग जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

तरतीबी प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री हवासिह पूनियां, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता असल अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 29/10/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी व सहकाश्तकारों की खातेदारी भूमि रोही मौजा 14 जेएसएन के प0न0 356/400(7) किला न0 21 ,22 प0न0 355/400(72) के किला न0 25 तथा प0न0 355/401 (85) के किला न0 4 से 7 ,14 ता 17 प0न0 356/401(86) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 व 19 ,20 कुल 4.8070हैक्‍ भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण का 126/2/3 हिस्सा तथा असल अप्रार्थीगण का चक 14 जेएसएन के प0न0 350/397(35) के किला न0 17/1 व 18/1 ,22/2 ,23/2 ,24 व प0न0 350/398(54) के किला न0 2 ता 4 ,7, 8/2 ,9/2 व प0न0 355/401 के किला न0 18 ,22 ता 25 कुल 3.5160हैक्‍ भूमि खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुद्वा सुविधाजनक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये बहुत परेशान होना पडता है अप्रार्थी की भूमि के मु0न0 85 के किला न0 22 से 25 के दक्षिण की तरफ से प0न0 लाईन पर स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जिसमें होकर प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने के लिये अप्रार्थी के किला न.0 25 में से जाना पडता है जहॉ से रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है इसलिये प्रार्थी अपने खेत में पहॅुचने के लिये अप्रार्थी के किला न0 25 में से एक गठठा यानि 8–1/4 फुट चोडा रास्ता स्वीकत करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा कि वो किला न0 25 में एक गठठा रास्ता उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के किला न0 16 तक स्वीकृत करवा देवे तथा रास्ता की एवज में उतनी भूमि अप्रार्थी के चिपते हुए किला न0 16 में देने को तेयार है अप्रार्थी इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 28.10.2016 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 जेएसएन के प0न0 355/401 (85) के किला न0 25 में से एक गठठा चौडा उत्तर से दक्षिण एक किला लम्बा रास्ता अप्रार्थी के खेत में स्वीकार किया गया था।

न्यायलय के आदेश /निर्णय दिनांक 28.10.2016 के विरूद्व अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे अपील अनवानी भैरूसिह बनाम राजेराम प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.09.2018 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबध में मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारों को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर आने के बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई हेतु तलब किया गया तथा निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट तहसीलदार नोहर से प्राप्त की गई मौका भु0अ0निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाकर तहसीलदार नोहर को प्रस्तुत की गई जिसे बाद जांच न्यायालय में पेश की गई जिसे शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को अवलोकन करवाया गया प्रार्थी की और से श्री हवासिह अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से मदन मोहन जोशी अधिवक्ता उपस्थित आये अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 तरतीबी पक्षकार होने के एवं इनके विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता को ऐतराज नही होने पर तर्क किया गया प्रकरण रिमाण्ड होकर आने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

अप्रार्थी की चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 106/89 में भूमि स्थित है जिसमें मु0न0 86 के किला न0 22 ता 25 के दक्षिण की तरफ पत्थर लाईन पर स्वीकृत शुद्वा रास्ता है प्रार्थी अपने खेत में किला न0 25 मे से ना जाकर मु0न0 86 के किला न0 21 में से आवागमन करता रहा है तथा प्रार्थी की मु0न0 86 में ढाणी व टयूबवैल है तथा ढाणी में जाने के लिये मु0न0 86 के किला न0 21 में से होकर सुविधाजनक रास्ता है तथा मु0न0 85 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में गै0मु0 खाला है जो सिचाई विभाग द्वारा पक्का निर्माण किया गया है कानूनी तौर से मुरब्बा के पश्चिम की तरफ रास्ता व पूर्वी तरफ खाला होता है इसलिये भी गै.गु. खाला को गै.मु. रास्ता में परिर्वतन कराने के लिये सिचाई विभाग को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है तथा धारा 251 ए आरटीएक्ट में गै0मु0 खाला की भूमि को रास्ता में परिर्वतन करने का अधिकारी नही है।

प्रार्थी चक 14 जेएसएन की भूमि में किला न0 25 से ना जाकर मु0न0 86 के किला न0 21 की भूमि से आवागमन करता रहा है प्रार्थी सहखाातेदार काश्तकार है अन्य काश्तकारो की भूमि भी है जिनका पक्षकार नही बनाया गया है क्योकि सयुक्त खाता में प्रत्येक काश्तकार का हक होता है सहखातेदारो को पक्षकार बनाये /सहमति बिना रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है प्रार्थी अकेले अप्रार्थी को रास्ते के बदले में भूमि केसे देगा प्रार्थी किला न0 25 में कानुनी तौर भी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है अप्रार्थी का किला न0 25 में कुआ बना हुआ है जिससे अप्रार्थी सिचाई करता है कुऐं के उपर से होकर कोई रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है इसप्रकार का प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 14 जेएसएन के प0न0 356/400(7) किला न0 21 ,22 प0न0 355/400(72) के किला न0 25 तथा प0न0 355/401 (85) के किला न0 4 से 7 ,14 ता 17 प0न0 356/401(86) के किला न0 1 ,2 ,9 से 12 व 19 ,20 कुल 4.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

8070हैक्ट भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीगण का 126/2/3 हिस्सा तथा असल अप्रार्थीगण का चक 14 जेएसएन के प0न0 350/397(35) के किला न0 17/1 व 18/1 ,22/2 ,23/2 ,24 व प0न0 350/398(54) के किला न0 2 ता 4 ,7, 8/2 ,9/2 व प0न0 355/401 के किला न0 18 ,22 ता 25 कुल 3.5160हैक्ट भूमि खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुद्वा सुविधाजनक रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये बहुत परेशान होना पडता है अप्रार्थी की भूमि के मु0न0 85 के किला न0 22 से 25 के दक्षिण की तरफ से प0न0 लाईन पर स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जिसमें होकर प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने के लिये अप्रार्थी के किला न.0 25 में से जाना पडता है जहाँ से रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है इसलिये प्रार्थी अपने खेत में पहुँचने के लिये अप्रार्थी के किला न0 25 में से एक गठठा यानि 8--1/4 फुट चोडा रास्ता स्वीकत करवाने का अधिकारी है वर्तमान में जमाबन्दीया ऑनलाईन होने के कारण रोही मौजा 14 जेएसएन के प0न0 355/401(85) किला न0 25 के स्थान पर 25/1 दर्ज है इसलिये किला न0 25 के स्थान पर 25/1 में से रास्ता स्वीकार फरमावें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता स्वीकृत फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी की चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 106/89 में भूमि स्थित है जिसमें मु0न0 86 के किला न0 22 ता 25 के दक्षिण की तरफ पत्थर लाईन पर स्वीकृत शुद्वा रास्ता है प्रार्थी अपने खेत में किला न0 25 मे से ना जाकर मु0न0 86 के किला न0 21 में से आवागमन करता रहा है तथा प्रार्थी की मु0न0 86 में ढाणी व टयूबवैल है तथा ढाणी में जाने के लिये मु0न0 86 के किला न0 21 में से होकर सुविधाजनक रास्ता है तथा मु0न0 85 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में गै0मु0 खाला है जो सिचाई विभाग द्वारा पक्का निर्माण किया गया है कानूनी तौर से मुरब्बा के पश्चिम की तरफ रास्ता व पूर्वी तरफ खाता होता है इसलिये भी गै.मु. खाला को गै.मु. रास्ता में परिर्वतन कराने के लिये सिचाई विभाग को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है तथा धारा 251 ए आरटीएक्ट में गै0मु0 खाला की भूमि को रास्ता में परिर्वतन करने का अधिकारी नही है।

प्रार्थी चक 14 जेएसएन की भूमि में किला न0 25 से ना जाकर मु0न0 86 के किला न0 21 की भूमि से आवागमन करता रहा है प्रार्थी सहखाातेदार काश्तकार है अन्य काश्तकारो की भूमि भी है जिनका पक्षकार नही बनाया गया है क्योकि सयुक्त खाता में प्रत्येक काश्तकार का हक होता है सहखातेदारो को पक्षकार बनाये /सहमति बिना रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है प्रार्थी अकेले अप्रार्थी को रास्ते के बदले में भूमि केसे देगा प्रार्थी किला न0 25 में कानुनी तौर भी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है अप्रार्थी का किला न0 25 में कुआ बना हुआ है जिससे अप्रार्थी सिचाई करता है कुऐं के उपर से होकर कोई रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है इसप्रकार का प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 जेएसएन के मु0न0 85 के किला न0 22 से 25के दक्षिण की तरफ प0न0 लाईन पर रास्ता स्वीकृत है प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त स्वीकृत रास्ते से होकर अप्रार्थी के किला न0 25 में से होकर अपने खेत में पहुच सकता है।

प्रार्थी को वर्तमान में अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई सुविधाजनक रास्ता नही है ना ही अप्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश किया गया जिससे यह साबित हो की प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध हो अर्थात वर्तमान में प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है। किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि का उपयोग/उपभोग करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मु0न0 86 के किला न0 21 में से आवागमन करता है किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे अप्रार्थी का कथन साबित होता हो मात्र कथन है तथा अप्रार्थी का कथन है कि मु0न0 85 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में गै.मु.खाला है जो सिचाई विभाग द्वारा निर्मित है खाला को रास्ते में परिर्वतन नही किया जा सकता अप्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि मु0न0 85 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 मे पक्का खाला होना स्वीकार योग्य है किन्तु खाला निरस्त कर रास्ता में परिर्वतन करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी का नही है प्रार्थी ने नया रास्ता स्वीकृत करवाने के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खाला को रास्ते में परिर्वतन करने के लिये नही प्रार्थी के अप्रार्थी के किला न0 25 में पक्के खाले के साथ एक किला मे रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है मु0न0 85 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 में पक्का खाला जा रहा है जो प्रार्थी के खेत के बीच में से गुजरता है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक के द्वारा स्वय मौका निरीक्षण किया जाकर तहसीलदार नोहर के समक्ष पेश की गई तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/1310 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा न्यायालय को अग्रेषित की गई है जो शामिल मिसल है।

मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है तथा रोही मौजा चक 14 जेएसएन के प0न0 355/402 ,356/402 के किला न0 1 ता 5 मे से 0.025हैक रास्ता स्वीकृत है जो मौके पर चालू है प0न0 356/401(86) के किला न0 21 मे से 0.013हैक या प0न0 355/401(85) किला न0 25 में से 013हैक रास्ता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त अंकित किया गया है एवं प0न0 355/401(85)किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 प्रत्येक में 0.025हैक गै0मु0 खाला मौके पर पक्का बना हुआ है रास्ता स्वीकृत करने पर किला न0 16 ,15 में पक्के खाले पर पुली बनानी होगी।

मौका रिपोर्ट यह तो पूर्णतया साबित हो चुका है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि उपयोग हेतु रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

अप्रार्थी का कथन है कि किला न0 25 में कुआ बना हुआ है इसलिये रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता स्वीकार योग्य नही है भू0अ0निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी के किला न0 25 जहॉ से रास्ता प्रार्थी के द्वारा चाहा गया है वहा पर कोई कुआ नही है मिथ्या कथन अंकित किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा रास्ता रोही मौजा चक 14 जेएसएन के प0न0 355/401(85) किला न0 25 में से 0.013हैक उत्तर व दक्षिण एक किला लम्बा चाहा गया है जो उचित प्रतित होता है मु0न0 85 का किला न0 25 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो स्वीकृत रास्ते से जुडता है एवं अप्रार्थी के किला न0 25 में पक्का खाला बना हुआ है प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी के किला न0 25 में से पक्का खाले से पूर्व खाले के साथ– साथ रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी अपने खते में पहुच जाता है जिससे प्रार्थी को पुलि का निर्माण नही करना होगा हॉ यह सही है कि प्रार्थी का खेत पक्के खाले के दोनो तरफ है प्रार्थी अपने खेत के दुसरे हिस्से में जाने के लिये पक्के खाले पर अपनी सुविधा अनुसार आवश्यक संसाधन कर सकता है या अपने व्यय से पुली का निर्माण करवा सकता है क्योकि की किला न0 5 ,6 ,15 ,16 तक पक्के खाले के दोनो तरफ प्रार्थी स्वय की खातेदारी भूमि है।

उक्त विवेचन से पूर्णतया साबित हो चुका है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है एवं प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित है प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि मे जाने के प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जा काश्त की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के पन0 355/401(85) किला न0 25/1 में से एक गठठा चौडा यानी 8–1/4 फुट चौडा एवं एक बीधा लम्बा रास्ता उत्तर से दक्षिण की और रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी को मु0न0 (85) के किला न0 16 मे चिपते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2020को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 1702 दिनांक 29.10.20

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. राजेराम पुत्र हरनारायण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम्

1 भैरूसिह पुत्र धनसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. छोटूसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. तारासिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहरीौल नोहर जिला हनुमानगढ
4. बलवीर पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–असल अप्रार्थी

5. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. दाखा पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. धन्नाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. निराणी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. भागीरथ पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सतीष कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. हरिसिह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी राजपूत तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

तरतीबी प्रतिवादीगण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के पन0 355/401(85) किला न0 25/1 में से एक गठठा चौडा यानी 8–1/4 फुट चौडा एवं एक बीधा लम्बा रास्ता उत्तर से दक्षिण की और रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी को मु0न0 (85) के किला न0 16 मे चिपते हुए भूमि दिये जाने आदेश पारित किये गये है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner